दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-७८ वा | बुधवार २४ दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

वक्फ बोर्ड को ट्रिब्यूनल से मिली राहत: उम्मीद पोर्टल पर नोंदणी के लिए छह महीने की मुदतवाढ

तकनीकी खराबी पर अतिरिक्त समय, मौके का फ़ायदा उठाएं-समीर काजी

मुंबई (संवाददाता) - महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत मिली है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर शेष वक्फ संपत्तियों (मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि) की नोंदणी के लिए छह महीने की मुदतवाढ दे दी है। मूल डेडलाइन ५ दिसंबर २०२५ थी, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले से अगले छह महीनों में बाकी संस्थाओं की संपत्तियों की नोंदणी पूरी की जा सकेगी। यह सफलता महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काझी और उनकी टीम के अथक प्रयासों का नतीजा मानी जा रही है।

महाराष्ट्र में अब तक अधिकांश वक्फ संस्थाओं की पोर्टल पर नोंदणी नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल का रुख किया था। अभी भी कई संस्थाएं बाकी हैं, इसलिए मुतवल्लियों और ट्रस्टियों के लिए समय पर नोंदणी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य मुदतवाढ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रिब्यूनल में जाने की अनुमति दी थी। अध्यक्ष समीर काझी ने पहले ही मुदतवाढ की उम्मीद जताई थी और कहा था कि राज्य की हर वक्फ संस्था की नोंदणी पूरी होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे।

भारत में वक्फ संस्थाओं की नोंदणी में महाराष्ट्र दूसरा स्थान रखता है। उम्मीद पोर्टल पर नोंदणी के लिए ५ दिसंबर २०२५ तक का समय दिया गया था। इस दौरान कई संस्थाओं ने नोंदणी कर ली, लेकिन दस्तावेजों की कमी, रिकॉर्ड अनुपलब्धता और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण कई पिछड़ गए।

महाराष्ट्र में उम्मीद पोर्टल को मिली खास राहत: तकनीकी खराबी आने पर उतना समय अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा

ट्रिब्यूनल के राहत भरे फैसले में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अगले छह महीनों में पोर्टल पर कोई तकनीकी बिगाड़ आता है या पोर्टल बंद पड़ता है, तो उस अवधि को अतिरिक्त रूप से बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार महाराष्ट्र को मिले इस आदेश का लाभ पूरे देश को हो सकता है, क्योंकि अन्य राज्य भी ट्रिब्यूनल से इसी आधार पर समान राहत मांग सकते हैं। यह कदम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

अवसर का सोना बनाएं, नोंदणी में पहल करें-समीर काझी

५ दिसंबर २०२५ तक वक्फ बोर्ड ने खुद भरसक प्रयास किए, लेकिन कई संस्था संचालकों और ट्रस्टियों ने सक्रियता नहीं दिखाई। अब ट्रिब्यूनल ने मुदत बढ़ा दी है, इसलिए यह जिम्मेदारी संस्था संचालकों की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। उम्मीद अधिनियम २०२५ की धारा ६१ के तहत नोंदणी न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अब जागें और नोंदणी पूरी कराएं - यह अपील अध्यक्ष समीर काझी ने की है।

संतोष देशमुख हत्याकांड: वाल्मीक कराड सह सभी आरोपियों पर आरोप तय

बीड, २३ दिसंबर २०२५: संवाददाता

महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आज विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड सहित सभी आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। यह मामले की २३वीं सुनवाई थी।

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने जानकारी दी कि आवाडा कंपनी से रंगदारी मांगने में अड़चन डालने के कारण संतोष देशमुख की साजिश रचकर हत्या की गई थी। ९ दिसंबर २०२४ को देशमुख का अपहरण कर उनकी क्रूर हत्या की गई और सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी आरोपियों से पूछा कि क्या वे लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड सहित सभी आरोपियों ने एक स्वर में आरोप अस्वीकार कर दिए। वाल्मीक कराड ने पहली बार अदालत में खुद खड़े होकर कहा कि आरोप उन्हें मंजूर नहीं हैं।

आरोपियों में वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, महेश केदार, जयराम चाटे और फरार आरोपी कृष्णा आंधळे शामिल हैं। अदालत परिसर में भारी पुलिस बंदोबस्त था और आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

उज्ज्वल निकम ने कहा कि बचाव पक्ष मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही सबूत पेश किए जाएंगे। अगली सुनवाई ८ जनवरी को होगी। यह मामला खंडणी, अपहरण और हत्या से जुड़ा है, जिसमें राजनीतिक संबंध भी चर्चा में हैं। जांच जारी है।

महापालिका चुनाव के लिए कांग्रेस के ४० स्टार प्रचारकों की सूची जारी

रंजनी ताई, इमरान प्रतापगढ़ी, एम एम शेख भी शामिल

जमीर काझी

मुंबई :

मुंबई सहित राज्य की २९ महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तैयारी की है। विस्तृत चर्चा के बाद अब ४० स्टार प्रचारकों की सूची मंगलवार को जारी की गई है।

इसमें प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधानमंडल दल नेता आ. विजय वडेट्टीवार, सांसद छत्रपती शाहू महाराज, विधान परिषद में दल नेता आ. सतेज पाटील आदि का समावेश है।

कांग्रेस मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष महापालिकाओं में स्थानीय राजनीतिक स्थिति के अनुसार मित्र दलों के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर दिया गया है। इसके अनुसार बैठकें और इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसी दौरान पार्टी ने महापालिका चुनावों के लिए ४० स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें उपरोक्त नेताओं के साथ राष्ट्रीय महासचिव सांसद मुकुल वासनीक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस कार्य समिति के

▶▶पान ४ पे

ज्येष्ठ IPS अधिकारी सदानंद दाते की 'घर वापसी'!

NIA से कार्यमुक्त, अब बनेंगे महाराष्ट्र के नए DGP

मुंबई: जमीर काजी कि रिपोर्ट

महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाली महाराष्ट्र पुलिस की महानिदेशक रश्मी शुक्ला की जगह ज्येष्ठ IPS अधिकारी सदानंद दाते का नाम लगभग तय हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रमुख पद से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है और राज्य में उनकी 'घर वापसी' हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सोमवार रात देर से संबंधित आदेश जारी किए गए।

दाते १९९० बैच के IPS अधिकारी हैं और उनकी सेवानिवृत्ति अगले साल ३१ दिसंबर तक है। हालांकि, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उन्हें पुलिस महानिदेशक पद पर दो साल के लिए नियुक्त करेगी।

२६/११ मुंबई हमलों के दौरान सदानंद दाते ने अपर्याप्त स्टाफ और हथियारों के बावजूद कामा अस्पताल में घुसकर आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी। उनके शौर्य से कई महिलाओं और बच्चों की जान बची थी।

दो साल से ऊहापोह के रूप में कार्यरत रश्मी शुक्ला का कार्यकाल ३१ दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ईमानदार अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध दाते की नियुक्ति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इच्छा बताई जा रही है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त कर राज्य में वापस भेजने का प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्धारित अवधि से पहले उन्हें कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष रखा था। मंजूरी मिलने से दाते को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र के अपने मूल कैडर में वापस भेजा जा रहा है।

१९९० बैच के महाराष्ट्र कैडर के खझड अधिकारी दाते का सफर पुलिस बल के युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक

▶▶पान ४ पे

स्कूल अब मनमानी तरीके से 'इंटरनेशनल', 'ग्लोबल' शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे

सरकार का निर्णय; निर्णय की अंमलबजावणी करें : मनोज जाधव की मांग

बीड (प्रतिनिधि)

राज्य शिक्षा मंडल के अधीन आने वाली स्कूलों द्वारा अपने नामों में 'ग्लोबल', 'इंटरनेशनल', 'सीबीएसई' जैसे आकर्षक शब्दों का उपयोग करके अभिभावकों और छात्रों को दिशाभूल तथा ठगी की जा रही है, यह बात सामने आई है। इस गंभीर मामले की संज्ञान लेते हुए शिक्षा संचालनालय ने अब सख्त कदम उठाया है। अभिभावक-छात्रों की ठगी रोकने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने वाली स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा उन्हें तत्काल नाम बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जिले में तत्काल और सख्ती से अंमलबजावणी करने तथा अभिभावकों को दिशाभूल करने वाली स्कूलों के नाम बदलवाने की मांग आज निवेदन के माध्यम से शिवसंग्राम के युवा नेता तथा आरटीई कार्यकर्ता मनोज जाधव ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष की है।

राज्य शिक्षा मंडल से संबद्ध कई स्कूलों ने अपने नामों में 'इंटरनेशनल', 'ग्लोबल', 'सीबीएसई' अथवा 'इंग्लिश मीडियम' जैसे शब्दों का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। इन शब्दों से संबंधित स्कूल अंतरराष्ट्रीय अथवा केंद्रीय शिक्षा मंडल (जैसे उइडए) से संबद्ध होने का अभिभावकों तथा छात्रों में भ्रम पैदा हो रहा है, जिससे उनकी दिशाभूल हो रही है। कई स्कूलों के पास कोई अंतरराष्ट्रीय संबद्धता न होने के बावजूद वे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जो सर्वत्र देखने को मिल रहा है। अभिभावकों, छात्रों तथा समाज को दिशाभूल या ठगने वाले

गैर-कानूनी शब्दों का स्कूलों के नामों में उपयोग न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। 'सीबीएसई' (उइडए) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित परीक्षा मंडल का नाम है। राज्य मंडल की स्कूलों द्वारा इस नाम का उपयोग कानूनी दृष्टि से अनुचित है। इसी प्रकार, 'इंटरनेशनल' अथवा 'ग्लोबल' शब्दों के उपयोग के लिए विदेश में शाखा अथवा अधिकृत अंतरराष्ट्रीय संबद्धता होना अनिवार्य है। इसलिए बीड जिले में गलत नाम से चल रही स्कूलों के नाम तत्काल बदलवाने की मांग मनोज जाधव ने की है।

यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य की राज्य शिक्षा मंडल (डींरींश इेरीव) के अधीन आने वाली सभी स्कूलों पर लागू होता है। विशेष रूप से उन स्कूलों पर जिन्होंने अपने नामों में 'ग्लोबल', 'इंटरनेशनल', 'सीबीएसई' अथवा 'इंग्लिश मीडियम' जैसे शब्दों का दुरुपयोग किया है।

यह निर्णय संचालनालय द्वारा लिया गया है तथा विभागीय शिक्षा उपसंचालक, शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा निरीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नामों में दिशाभूल करने वाले शब्द पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन को तत्काल नाम बदलने को कहा जाएगा। नई मान्यता मांगने वाली अथवा दर्जा वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली स्कूलों के नामों की सख्त जांच की जाएगी। अभिभावकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नाम पाए जाने पर उन्हें बदलवाने के बाद ही अनुशंसा की जाएगी।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

डॉ. ज्योती घुंबरे द्वारा भाजपा के नवनिर्वाचित नगरसेवकों का सम्मान, मौक़ा देने पर डॉ. योगेश क्षीरसागर का आभार प्रकट किया।

बीड (प्रतिनिधि)

दि. २३ : बीड नगरपरिषद की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजयी हुए नवनिर्वाचित नगरसेवकों का भाजपा की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉ. ज्योती घुंबरे के निवास स्थान पर मंगलवार (दि. २३) को सम्मान किया गया।

नवनिर्वाचित नगरसेविका डॉ. सारिका ताई क्षीरसागर, नगरसेवक मंगेश धोंगडे तथा एड. नागेश तांबरे का सम्मान किया गया। अन्य नगरसेवकों का भी सम्मान किया जाएगा, ऐसा बताते हुए डॉ. ज्योती घुंबरे ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई संधी के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। नगराध्यक्ष पद की चुनाव लड़ने की संधी देने के लिए उन्होंने भाजपा के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर का विशेष आभार माना। आने वाले समय में भाजपा के सभी नगरसेवक एकजुट होकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। इस समय डॉ. रविंद्र घुंबरे, नरेंद्र घुंबरे सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीड के विकास के लिए भाजपा के नगरसेवक सक्षम रूप से काम करेंगे : डॉ. ज्योती घुंबरे

मेरे पीछे मजबूती से खड़े रहने वाले हर मतदाता, कार्यकर्ता और हितचिंतक का मैं दिल से आभार मानती हूं। परिणामप्रक्त क्या हो, इस चुनाव से भाजपा की ताकत दिखाई दी। शहर से भारतीय जनता पार्टी के १५ नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं तथा शहर के विकास के लिए भाजपा सक्षम रूप से काम करेगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा भी डॉ. ज्योती घुंबरे ने कहा।

बीड जिला विधी सेवा प्राधिकरण की ओर से बालविवाह मुक्त भारत अभियान

पोस्को एक्ट, व्यसन मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता शिविर संपन्न

बीड संवाददाता

जिला विधी सेवा प्राधिकरण बीड की ओर से दिनांक २३/१२/२०२५ को प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री आनंद एल. यावलकर साहब के मार्गदर्शन में श्री लक्ष्मणराव जाहेर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, नामलगाव फाटा, ता. जि. बीड में व्यसन मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और बालविवाह प्रतिबंधक कानून के संबंध में मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य मार्गदर्शक के रूप में न्यायाधीश श्री वहाब ए. सय्यद (सचिव, जिला विधी सेवा प्राधिकरण बीड), श्री एस. टी. शिंदे (अधीक्षक, जिला विधी सेवा प्राधिकरण बीड), अशोक तांगडे (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति बीड), तत्वशील कांबळे (अधिकार मित्र), मिथुन जोगदंड आदि उपस्थित थे।५००श८९,१२३र४५,११२८२४

नामलगाव फाटा स्थित श्री लक्ष्मणराव जाहेर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में व्यसन मुक्ति, पर्यावरण और 'बालविवाह' की अवधारणा के अंतर्गत जिला विधी सेवा प्राधिकरण बीड द्वारा 'बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कानून (झजउड्ज), व्यसन मुक्ति, बालविवाह तथा पर्यावरण' विषय पर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया था।०७१ल५र,०५७९ल८

न्यायाधीश वहाब ए. सय्यद ने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि छात्रों को अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए और अच्छा नागरिक बनना चाहिए। उन्होंने लड़के-लड़कियों को शिक्षा, बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम के बारे में मार्गदर्शन दिया तथा बच्चों को परिश्रम करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा का महत्व, बालविवाह होने के कारण बताए तथा बालविवाह प्रतिबंध कानून में दंड की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बालविवाह मुक्त भारत बनना चाहिए। साथ ही, व्यसन मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर भी मार्गदर्शन किया। छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर १०९८ और १५१०० हमेशा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई।

अशोक तांगडे ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बालविवाह रोकने के लिए लड़के-लड़कियां जागरूक रहें। बालविवाह के कई कारण हैं, लेकिन उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए जिला विधी सेवा प्राधिकरण बीड तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय प्रयासरत है। बच्चों को अजनबियों से अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए, यदि कोई वस्तु दे रहा हो तो नहीं लेनी चाहिए तथा अपना संरक्षण खुद करना चाहिए। यदि कोई छेड़छाड़ करे तो प्रतिकार करना चाहिए। बच्चों को इंसान की तरह जीने के लिए झजउड्ज कानून बना है और उसमें दंड की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी स्थिति में बालविवाह नहीं होना चाहिए तथा यदि कहीं हो रहा हो तो टोल फ्री नंबर १०९८ पर संपर्क कर बालविवाह रोकना हर छात्र की जिम्मेदारी है - यह उन्होंने अपने भाषण से समझाया। साथ ही, पर्यावरण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।२१८ष९६,८१श४श४

अधिकार मित्र श्री तत्वशील कांबळे ने व्यसन से बच्चों के संरक्षण कानून २०२५ अर्थात नालसा की डॉन स्कीम पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। व्यसन से होने वाले नुकसान और दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। छोटी-छोटी आकर्षक दिखने वाली पुड़ियां बच्चों को आकर्षित करती हैं, व्यसन की शुरुआत सुपारी से होती है और बाद में बड़ा व्यसन बन जाता है, इसलिए बच्चों को तंबाकू जन्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए - ऐसा आव्हान किया।

अधिकार मित्र श्री मिथुन जोगदंड ने ''बच्चों के अधिकार, बच्चों की सुरक्षा है, झजउड्ज कानून आपके साथ है'' ऐसा संदेश देते हुए बच्चों को लैंगिक अत्याचार संरक्षण कानून की जानकारी दी। छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए स्कूल वातावरण में झजउड्ज कानून के तहत छात्र-छात्राओं को कैसे संरक्षण दिया जाता है, बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क पर अजनबियों द्वारा बच्चों को वस्तु देना कानूनन अपराध है। साथ ही, मोबाइल पर लड़कियों से चैटिंग कर छेड़छाड़ करना भी अपराध है। ऐसी स्थिति में एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए - ऐसा कहकर छात्रों को सजग किया।

महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर

बालविवाह हेल्पलाइन नं. १०९८

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) हेल्पलाइन नं. १५१००

कार्यक्रम का सूत्रसंचालन श्री डोंगरे सर ने किया। उपस्थित मान्यवरों के प्रति आभार प्रदर्शन स्कूल के मुख्याध्यापक श्री खोड सर ने किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस उपक्रम से छात्रों को सुरक्षित एवं अनुशासित नागरिक बनने के साथ-साथ जिम्मेदार एवं संवेदनशील छात्र के रूप में कानूनी मदद के लिए सही मार्गों का उपयोग करने का संदेश मिला।

गुजरात राज्य को सैकड़ों शिक्षकों की जरूरत, लेकिन योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं

हबीब शेख

अहमदाबाद

राज्य सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे कि राज्य में कुशल शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की गंभीर कमी के कारण राज्य सरकार ने खाली पदों का विज्ञापन दिया था, लेकिन पर्याप्त शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया क्योंकि योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। यह बात यहां के मीडिया से पता चली है। कहा गया है कि राज्य सरकार ज्ञान सहायक की नियुक्ति को केंद्रीकृत करने में पूरी तरह असफल रही है। नतीजे में छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं है।

ज्ञान सहायक उम्मीदवारों की सूची में अंग्रेजी में ७०० और मनोविज्ञान में ३०० के मुकाबले काफी है, जबकि समाजशास्त्र की ४१७ सीटों के लिए सिर्फ ४ उम्मीदवार, भूगोल की २५७ सीटों के लिए २ उम्मीदवार और अर्थशास्त्र की २९५ सीटों के मुकाबले सिर्फ २४ उम्मीदवारों ने आवेदन किया। गुजरात के सरकारी और ग्रांट-इन-एड स्कूलों की खराब शैक्षणिक स्थिति के लिए सरकार और शिक्षा विभाग जिम्मेदार हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी अस्थायी मेरिट लिस्ट के अनुसार, अंग्रेजी में शिक्षकों की ७०० और मनोविज्ञान की ३०० पदों के मुकाबले एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। सरकार ने राज्य में गुजराती माध्यम से जुड़े हायर सेकेंडरी स्कूलों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा समाजशास्त्र की ४१७ पदों पर सिर्फ ४ उम्मीदवार, भूगोल की २५७ पदों पर सिर्फ २ और अर्थशास्त्र की २९५ पदों पर सिर्फ २४ उम्मीदवार मिले। इस तरह गुजरात शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर ज्ञान सहायकों की भर्ती पूरी तरह असफल हो गई है।

आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग की गलती के कारण राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र शिक्षकों से वंचित होने पर मजबूर हैं। राज्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थायी शिक्षक नहीं हैं, लेकिन ठेके पर शिक्षक भी आवंटित किए गए हैं। शिक्षा विभाग असफल हो चुका है।

राज्य में सरकारी और ग्रांट प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के १८,४३४ पद हैं। राज्य में प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, जिनमें से १३,१३० पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग से कहा गया है कि इन पदों को भरें। राज्य में हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे बिना इसके बोर्ड परीक्षाएं देंगे। कक्षा १०-१२ की बोर्ड परीक्षाएं २७ फरवरी से शुरू होंगी। इस स्थिति में १२वीं कक्षा में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के लिए अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या खाली है।

यही नहीं, ठेके की आधार पर इन पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं हैं। इस स्थिति में गुजरात के गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र कैसे पढ़ेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं दे पा रही है।

विभाग ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में दूसरी बार ठेके की आधार पर ज्ञान सहायकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी अस्थायी मेरिट लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला वार जारी अस्थायी मेरिट लिस्ट के अध्ययन से पता चला है कि कई विषयों में एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। इससे पहले शिक्षा विभाग विषय शिक्षकों के पद ट्रैवलिंग टीचर्स से भरता था। इस ट्रैवलिंग टीचर स्कीम में बदलाव करके वेतन दोगुना कर दिया गया है और नया नाम ज्ञान सहायक रखा गया है।

खुद अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में जारी अस्थायी मेरिट लिस्ट में ५० प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो वर्तमान में ज्ञान सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। ज्यादातर उम्मीदवार नजदीकी, बेहतर स्कूल प्राप्त करने के लिए दोबारा फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि नियुक्ति के बाद फॉर्म न भरने को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए उम्मीदवार दोबारा भर रहे हैं।

अहमदाबाद में ४६७ उम्मीदवारों के मुकाबले २५० उम्मीदवार मिले, जिनमें से २० उम्मीदवार वापस ले लिए गए। ज्ञान सहायक की भर्ती के पहले चरण में नियुक्तियां की गईं। पता चला है कि इन उम्मीदवारों में से २० को शॉर्टलिस्ट किया गया था। माध्यमिक स्कूलों में २९६ पदों के मुकाबले सिर्फ १०५ पदों पर नियुक्तियां हुईं। अहमदाबाद में कुल ४६७ पदों में से २५० उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि १४५ पद हायर सेकेंडरी में और १७१ पद पहले चरण में भरे गए। ५०% से ज्यादा पद खाली हैं।

सरकार ने ज्ञान सहायक उम्मीदवारों के मुकाबले शिक्षकों के ११-१२ पद आवंटित किए हैं। उम्मीदवार जिला स्तर पर शिक्षक के रूप में उपलब्ध थे। लेकिन केंद्रीकृत भर्ती में उम्मीदवार अपने मूल क्षेत्रों से दूर जाने को तैयार नहीं हैं। जिसकी वजह से छात्रों के भविष्य से सीधा समझौता किया जा रहा है।

इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी और अस्थायी भर्तियों में योग्यता का मानक एक समान रखने के बावजूद पर्याप्त उम्मीदवार न होने की शिकायतें हैं। कुछ विषय अंग्रेजी की वजह से स्थायी भर्तियों में उपलब्ध नहीं थे। अगर उम्मीदवार स्थायी भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो अस्थायी भर्ती के लिए कैसे उपलब्ध होंगे? यह बेतुकापन शिक्षा विभाग भी मानने को तैयार नहीं है, जो जोर पकड़ चुका है।

(रिपोर्ट में दिए गए कुछ आंकड़े: समाजशास्त्र ३३२-८५, ५८०-११९, ००; मनोविज्ञान २५३; भूगोल २००-५७, ५०-००, २-४, २४; अर्थशास्त्र २५२-४३ आदि। पंजीकृत उम्मीदवारों में से ९,८९१ अनुपस्थित रहे जो १८,३४८ का इजाफा दर्शाता है।)

पान १ से

महापालिका चुनाव के ...

सदस्य बाळासाहेब थोरात, तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, सांसद रजनी पाटील, गोवा के प्रभारी माणिकराव ठाकरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इम्रान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य नसीम खान, अभिनेता व कांग्रेस नेता राज बब्बर, अखिल भारतीय कार्य समिति की सदस्य यशोमती ठाकुर, सांसद प्रणिति शिंदे, आ. अमीन पटेल, पूर्व मंत्री डॉ. नितीन राऊत, पूर्व मंत्री सुनील केदार, आ. अमित देशमुख, आ. डॉ. विश्वजित कदम, विधायक भाई जगताप, अनिस अहमद, पूर्व मंत्री रमेश बागवे, पूर्व सांसद हुसेन दलवाई, आ. साजिद खान पठाण, कन्हैया कुमार, विधायक जिग्नेश मेवाणी, पूर्व मंत्री वसंत पुरके, पूर्व आ. मुजफ्फर हुसेन, एम.एम. शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वजाहत मिर्झा, वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे व हनुमंत पवार का इस सूची में समावेश है।

ज्येष्ठ IPS अधिकारी

माना जाता है। महाराष्ट्र कैडर के खझड अधिकारी सदानंद दाते अपनी कठोर निर्णय प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। २०१५ में उनकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (उठझऋ) के महानिदेशक पद पर नियुक्ति हुई थी। उस समय छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में नक्सली हिंसा चरम पर थी। उस दौरान सशस्त्र अभियानों की शुरुआत हुई थी।

गड़चिरोली में नक्सली मोर्चे पर उनकी नियुक्ति हुई थी। फरवरी २०१५ में उन्हें उठझऋ में खऋ पद पर प्रमोशन मिला था। इसके बाद वे उठझऋ में स्पेशल खऋ बने। फिर उठझऋ में ऊऋ के रूप में ५ साल प्रतिनियुक्ति पर रहे। इसके बाद उन्हें छख- की कमान सौंपी गई थी। मुंबई में उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त तथा सह आयुक्त (अपराध) के रूप में भी काम किया है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com